तत्पश्चात स्टेट पक्ष की ओर से डी बी सिविल स्पेशल अपील संख्या 229/84 की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 14.7.86 द्वारा 2 माह को कन्डोन नही किया गया व रिट टाईमबार्ड होने के कारण खारिज की गई ।

एस बी रिट संख्या 1311/79 के निर्णय दिनांक 29.3.84 के अनुसार रीओपन देश को अपास्त कर दिया गया है । डीबी रिट पैटीशन संख्या 229/84 राज्य पक्ष ओर से पेश की गई जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 14.7.86 द्वारा रिज की गई ।

इस प्रकार री–ओपन आदेश अस्तित्व में नही होने के कारण अप्रार्थी की जोत मा के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नही किया जा सकता

चूँकि री–ओपन आदेश दिनाक 24.3.79 अस्तित्व मे नही है अतः आदेश दिनाक 1.4.79 के आधार पर इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नही किया जा सकता ।

पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो । मूल रिकार्ड जिला कलक्टर होदय श्री गंगानगर को भिजवाया जावे ।

(रतनसिह लाम्बा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर सतर्कता
श्री गंगानगर

राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के उपरांत स्थिति यह रही कि प्राधिकृत अधिकारी ~~श्रीकरणपुर~~ का निर्णय दिनांक 15-5-73 अंतिम रहा जिसके अनुसार नये सीलिंग कानून के आजाने से विचाराधीन पड़ाने

29/79

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सतर्कता श्री गंगानगर राजस्थान

प्रकरण संख्या 29/79   बनाम   बलदेवसिह पुत्र पाल सिह
सरकार

निवासी – 6 डब्लयु
तहसील – करणपुर
जिला – श्री गंगानगर

राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण
अधिनियम 1973 की धारा 15(2) के तहत

उपस्थित –
1– राजकीय अधिवक्ता श्री विजय रेवाड
2– श्री काशी राम रणवा एडवोकेट

आदेश   दिनाक 7/6/x

तथ्य इस प्रकार से हैं कि अप्रार्थी बलदेवसिह के विरूद्व सिलिग प्रकरण संख्या
164/73 चला व प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 15.5.73 को आदेश पारित किया गया
कि राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के आ
जाने से पुराने कानून के तहत कार्यवाही नही चल सकती । इसके पश्चात दिनाक 2.1.
75 को नजरसानी के आधार पर कार्यवाही पुन प्रारम्भ कर दी । इसके बाद अप्रार्थी ने
राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील की । राजस्व अपील अधिकारी द्वारा
नजरसानी के आदेश 2.1.75 को निरस्त कर दिया । प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय विधि
विरूद्व होने के कारण राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश एफ 7(237)
राजस्व/सीलिग/2181 दिनाक 7.5.79 द्वारा राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत
सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15(2) के तहत पुनः खोला जाकर इस
न्यायालय को प्रेषित किया गया ।

प्रकरण प्राप्त होने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को
तलब किया गया । अप्रार्थी द्वारा धारित रकबा का विवरण तहसीलदार करणपुर से प्राप्त
किया गया । रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार अप्रार्थी के पास 25.2.58 से 1.4.66 को 62.
10 बीघा रकबा नहरी था व उसके परिवार में बलदेवसिह स्वयम 22 वर्ष व पत्नी रविन्द्र
कोर 20 वर्ष दो ही सदस्य थे । अप्रार्थी द्वारा दिनाक 20.4.72 को तादादी 31.05 बीघा
भूमि प्रगट सिह वल्द अर्जनसिह को बैय कर दिया गया । बलदेवसिह के नाम से 31.05
बीघा शेष रहा ।

अप्रार्थी द्वारा राज्य सरकार के पुनः खोले गये आदेश को माननीय उच्च न्यायालय
में चुनौती दी गई व रिट संख्या 1311/79 दायर की गई जिसका निर्णय दिनांक 29.3.
84 को किया गया व रीओपन आदेश को अपास्त कर दिया गया ।

अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के उपरात स्थिति
... प्राधिकृत अधिकारी करणपुर का निर्णय दिनांक 15-5-73